

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
- 2-मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊं/ पौड़ी/ नैनीताल,
उत्तराखण्ड।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 23 अप्रैल, 2019

विषय- लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 में उल्लिखित समय-सारिणी का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण आदि के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 प्रख्यापित किया गया है। संगत अधिनियम की धारा 23 में सभी प्रकार के स्थानांतरण हेतु समय सारिणी का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत् है:-

1.	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल के मानक के अनुसार चिन्हीकरण की तिथि	31 मार्च तक
2.	शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना	1 अप्रैल तक
3.	प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन	15 अप्रैल तक
4.	अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प मांगे जाने की तिथि	20 अप्रैल तक
5.	अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	30 अप्रैल तक
6.	उक्त 3 व 4 के अनुसार विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि	15 मई तक
7.	प्राप्त विकल्प/आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने की तिथि	20 मई तक
8.	स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि	25 मई से 05 जून तक
9.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि	10 जून तक
10.	स्थानांतरण आदेश को वेबसाइट पर प्रतिदर्शित करने की तिथि	आदेश निर्गत होने के 02 दिन के भीतर

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2019-20 में कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण हेतु उक्त समय-सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव

संख्या (1) /XXX(2)/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस०एस०वल्दिया)

अपर सचिव